



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10022025-260882
CG-MH-E-10022025-260882

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]
No. 91]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2025/माघ 21, 1946
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2025/MAGHA 21, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुंबई, 6 फरवरी, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/225.—बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम अप्रैल, 2025 के पहले दिन से लागू होंगे:

परंतु यह कि इन संशोधन विनियमों के विनियम 3(IV) में किए गए संशोधन राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में, —

I) विनियम 8 में, शब्दों “निर्धारित वार्षिक फीस” के बाद और शब्दों “उसी प्रकार अदा करेगा” से पहले चिह्न तथा शब्द “, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर,” जोड़े जाएंगे।

II) विनियम 9 में, मौजूदा प्रावधान उसका उप-विनियम (1) बन जाएगा, और इस प्रकार बने उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(2) उपरोक्त रकम अदा किए जाने से संबंधित ब्यौरे वार्षिक शुल्क की गणना के विवरण (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित) के साथ भिजवाने होंगे।”

III) विनियम 9 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“वार्षिक फीस और वार्षिक शुल्क अदा न करने, देरी से अदा करने या कम अदा करने पर ब्याज का भुगतान

9क. जहाँ डिपॉज़िटरी (निक्षेपागार) की चूक के कारण, ऐसी कोई फीस जो विनियम 8 और विनियम 9 के तहत बोर्ड को अदा की जानी थी किंतु जो डिपॉज़िटरी (निक्षेपागार) द्वारा या तो अदा नहीं की गई या देरी से अदा की गई या कम अदा की गई, वहाँ वह जितने महीनों की देरी हुई उस हर महीने के लिए या यदि महीना पूरा न हुआ हो तो जितने दिनों की देरी हुई उतने दिनों के लिए, अदा न की गई रकम पर या देरी से अदा की गई रकम पर या जितनी रकम कम अदा की गई उस रकम पर पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बोर्ड को ब्याज अदा करेगा, हालांकि इसके बावजूद उसके खिलाफ अधिनियम, नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन) के तहत कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकेगी।”

IV) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में, अध्याय-VII में, मौजूदा विनियम 82क के बाद, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के संबंध में जिम्मेदारी

82कक. कोई डिपॉज़िटरी (निक्षेपागार) यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग वाले टूल्स एवं तकनीक का इस्तेमाल करे [फिर चाहे उसने वे टूल्स खुद बनाए हों या वह तकनीक खुद बनाई हो और या फिर उसने उन्हें दूसरे सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर) से खरीदा हो, और फिर भले ही वह अपने कामकाज के लिए और अपने ग्राहकों या सदस्यों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए उनका इस्तेमाल किसी भी हद तक करता हो या किसी भी कार्य के लिए करता हो], तो ऐसे में वह-

क) समस्त प्रक्रियाओं के दौरान निवेशकों और स्टैकहोल्डर्स के डाटा (जिसमें वह डाटा भी शामिल है, जो उसके पास फिज्यूशरी कैपेसिटी में रखा हो) को गोपनीय रखने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए और उससे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ होने से रोकने के लिए केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होगा;

ख) उन टूल्स और तकनीक के इस्तेमाल से मिलने वाले नतीजों (जिनके आधार पर वह कार्रवाई आदि करता हो या जिन्हें वह अमल में लाता हो) के लिए केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होगा; और

ग) लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करने के लिए केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाले टूल्स एवं तकनीक” में ऐसा कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एक्ज़िक्यूटेबल सिस्टम शामिल हो सकता है या उनमें से कोई दो या सभी शामिल हो सकते हैं, जो निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) निवेशकों / स्टैकहोल्डर्स को दे या फिर वह स्वयं आंतरिक स्तर पर उसका (उनका) इस्तेमाल ट्रेडिंग और सेटलमेंट (निपटान) को सहज बनाने

के लिए करे और या फिर अपने कार्य करने के लिए करे (जिसमें प्रावधानों आदि के पालन से जुड़े कार्य भी शामिल हैं); और जिनके बारे में यह जाहिर हो रहा हो कि वे आम जनता को दिए जा रहे प्रोडक्ट ही हैं या फिर उनका इस्तेमाल प्रावधानों आदि का पालन करने के लिए किया जा रहा है या फिर उनका इस्तेमाल प्रबंधन (मैनेजमेंट) या कारोबार से जुड़े दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./948/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/40, द्वारा 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 तत्पश्चात्,—
 - क. 4 जून 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/20, द्वारा
 - ख. 21 फरवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/04, द्वारा
 - ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - घ. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/23, द्वारा
 - ङ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
 - च. 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/43, द्वारा
 - छ. 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/53, द्वारा
 - ज. 23 फरवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/74, द्वारा
 - झ. 2 मार्च, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/125, द्वारा
 - ञ. 22 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/147, द्वारा
 - ट. 10 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/173, द्वारा

- ठ. 26 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/200, द्वारा
- ड. 28 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दस्तावेजों को प्रमाणित करना) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/212, द्वारा
- ढ. 2 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/213, द्वारा

संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 6th February, 2025

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2025**

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/225.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 namely, —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the first day of April, 2025:

Provided that the amendment in regulation 3(IV) of these amendment regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, —
 - I) in regulation 8, after the words and symbol “under regulation 7, shall pay” and before the words “annual fee”, the words and symbols “, within fifteen days from the beginning of each financial year, the” shall be inserted.
 - II) in regulation 9, the existing regulation shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) so numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely, —
“(2) The details of remittance shall be forwarded along with the statement of computation of annual charges certified to be correct by a chartered accountant.”
 - III) after regulation 9, the following regulation shall be inserted, namely —
“Interest on non-payment, belated payment or short payment of annual fee and annual charge.
 9A. Where due to the default of the depository, any fee which was liable to be paid to the Board under Regulation 8 and Regulation 9 remains unpaid or is paid belatedly or is short-paid by the depository, it shall, without prejudice to any other action that may be initiated under the Act, rules or regulations, pay an interest of fifteen per cent per annum on the amount remaining unpaid or belatedly paid or short-paid, for every month of delay or part thereof to the Board.”
 - IV) in Chapter VII, after the existing regulation 82A, the following new regulation shall be inserted, namely,—
“Responsibility for the use of artificial intelligence
 82AA. A depository which uses artificial intelligence and machine learning tools and techniques, either designed by it or procured from third-party technology service providers, irrespective of the scale and scenario of adoption of such tools for conducting its business and servicing its clients or constituents, shall be solely responsible—
 a) for the privacy, security and integrity of investors’ and stakeholders’ data including data maintained by it in a fiduciary capacity throughout the processes involved;

- b) for the output arising from the usage of such tools and techniques it relies upon or deals with; and
- c) for the compliance with applicable laws in force.

Explanation: For the purpose of this regulation, the expression “artificial intelligence and machine learning tools and techniques” may include any application or software program or executable system or a combination thereof, offered by the depository to investors/stakeholders or used internally by it to facilitate trading and settlement or to carry out its activities including for compliance requirements and the same are portrayed as part of the products offered to the public or under usage for compliance or management or other business purposes.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./948/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on October 3, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/402.
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were subsequently amended on, –
 - a. 4th June, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/20.
 - b. 21st February, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/04.
 - c. 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - d. 5th May, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
 - e. 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - f. 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/43.
 - g. 26th October 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/53.
 - h. 23rd February 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/74.
 - i. 2nd March 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/125.
 - j. 22nd August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/147.
 - k. 10th May, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/173.
 - l. 26th August, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/200.
 - m. 28th November, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Attestation of Documents) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/212.
 - n. 2nd December, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide SEBI/LAD-NRO/GN/2024/213.